Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:7(3), July 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अब्दुल बिस्मिल्लाह कि कहानियों में वैवाहिक परेशानियाँ

प्रो.एन. सत्यनारायण
शोध निर्देशक
विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग
आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

पी. सीएच.जानी
शोध छात्र, हिंदी विभाग
आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

1

अब्दल बिस्मिल्लाह एक नयी पहचान लेकर हिन्दी साहित्य में वारिद हुये हैं। आपने मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज के अंतरंग जीवन के बिश्वस्तरीय अंकन के साथ ही हिन्दू समाज के केन्द्र में रखकर भी समान अधिकार के साथ लिखा है। राजनीतिक, अवसरवाद, मानवीय संबंधों पर धन के वर्चस्व की प्रवृति, वंचित में उपेक्षित वर्ग के जीवन की बहुविध समस्याएँ तथा दलित-वर्ग में घटित बदलाव आदि को केन्द्र में रख कर अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अनेक उल्लेखनीय कहानियाँ लिखी हैं।

विवाह डाक ऐसी सामाजिक समस्या है जिस में स्त्री-पुरुष को नैतिक नियमों का पालन करते हुये यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार था धार्मिक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह का नियम है, स्त्री-पुरुष के मध्य सामंजस्य व्यवहार करता है। विवाह मनुष्य जीवन में यौन संतुष्टि, स्नेह, सहानुभूति,भोजन, निवास आदि आवश्यकताओं की पूर्ती करनेवाला महत्वपूर्ण साधन है। हिन्दू समाज में विवाह को धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार है तो मुस्लिम समाज में वह करार है। आज विवाह एक समझौता मात्र रह गया है, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से।

अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को 'तलाक' के बाद कहानी में लेखक ने 'तलाक' के सही रूप से परिचित कराने का और उसकी विद्रूपता से भी अवगत कराने का प्रयास किया है। आमतौर पर यह समझ लिया गया है कि तीन बार तलाक कह देने से तलाक हो जाती है। यह गलत है। 'कुरान शरीफ' में साफ अल्फाज

में बताया गया है कि एक साथ तीन बार तलाक शब्द नहीं बोला जा सकता। तीन बार में तलाक होती है। एक बार तलाक शब्द बोल कर तीन महीने का समय दिया जाता है कि इस दौरान पति-पत्नी प्यार महसूर करें तो वे साथ में रह सकते हैं तो कोई गुनाह नहीं। तीन महीने बाद भी अगर रंजिश दूर न हो तो दूसरी बार तलाक शब्द कहा जा सकता है और तीन महीने के समय समझने-सोचने केलिए दिया जाता है। यदि इसके दौरान भी वे एक-दूसरे के साथ रहना न चाहें तो तीसरी बार तलाक दी जा सकती है। लेकिन इस बीच में अगर दोनों में समझौता हो जाए तो साथ रहने में कोई गुनाह नहीं है। शरियत के सही रूप को दर किनार करके आमतौर पर यह समझ लिया गया है कि तलाक देना बहुत आसान है। तीन बार

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:7(3), July 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

तलाक कहो और हो गई। इसमें बहुत-सी बारीकियाँ हैं। खुदा को तलाक बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह के नजदीक यह सख्त न पसंदीदा काम है। शैतान पति-पत्नी में झगड़ा करा कर खुश होता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इस कहानी की माध्यम से इसी तकलीफदेह स्थिती पर प्रकाश डाला है।

इस कहानी में साबिरा को ससुर ने अपने बेटे से जबरदस्ती तलाक के कागज़ पर दस्तखत कराके मायके जाने पर विवश कर दिया है। हालाँकि पति-पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन पिता के डर से बेटा बोल नहीं पाता है। मायके में जाकर भी साबिरा अपने मियाँ की याद को भूल नहीं पाती। इधर डॉक्टराइन अम्मा को साबिरा की दूसरी शादी करने के लिए उकसा रही है। साबिरि को चिंता है कि अगर किसी दूसरे के साथ उसे बाँध दिया गया तो, तलाक हो गया तो क्या हुआ, क्या प्रेमी प्रेम भी

समाप्त हो गया? कानूनी बंधन टूट जाने से दिल का बंदन नहीं टूट जाता। लेखक ने बड़े प्रभावशाली ढंग से इस समस्या पर प्रकाश डाला है। ऐक दिन अचानक सत्तार घर आकर साबिरा को अपने घर ले जाना चाहता है तो, माँ कहती है कि तुम दोनों में तलाक हो चुकी है। शरीयत की रूह से हलाला होना जरूरी है। लेकिन सत्तार का कहना है कि तलाक मैं ने अपनी मर्जी से नहीं दी है। आखिर में माँ की नाराजगी के बावजूद साबिरा सत्तार के साथ जाने को तैयार हो जाती है।

इस कहानी में यह भी रेखांकित किया है कि अक्सर घर बिगडवाने में माता-पिता का हाथ होता है चाहे वह ससुराली हो;मायके के! लड़का अपनी समझतारी से अपने माता-पिता और पत्नी को खुश रख सकता है। साथ ही बहू को भी अपने दायित्वों का बोध होना चाहिए। केवल अधिकार जताने से काम नहीं चलता। लेखक ने एक गम्भीर समस्या पर प्रकाश डाला है। अगर मां-बाप जोर-जबरदस्ती से जबरन अपने बेटे से बहू को तलाक देने के लिए मजबूर करें तो यह तलाक नहीं मानी जाएगी। दूसरे हलाला का कानून भी क्यों रखा गया है, इसे समझना जरूरी है। अगर अल्लाह ने इतना सख्त कानून नहीं रखा होता तो तलाक एक खेल बनकर रह जाती। जब चाहे साथ रह ले, जब चाहे अलग हो गए। इस से मुइशरें में बहुत-सी बुराइयों जन्म लेती है। इसी से बचने के लिए हलाला रखा गया है। लेकिन नामनिहाद मजहबी ठेकेदारों ने इससे भी फायदा उठाने की कोशिश की। इसी प्रकार बिस्मिल्लाह जी की पूँजी, 'माल और मुनाफा', दरबे के लोग', अभिनेता, 'कानून' और अन्य कई कहानियों में भी तलक की समस्या का चित्रण हुआ है।

नारी शोषण की समस्या :-

कहानी 'नर लीला' में बड़कू और ननकू एक दोनों जिस औरत को खरीदकर लाए है, वही औरत उन्हें ठग कर बिरादरी के एक दुलारे नामक धोबी के साथ रहने लगती है। चोरी-चुपके उसके घर जाकर उसके काम में हाथ बांटती है। वास्तव में कमली को उसके पिता ने मजबूरी में किसी परदेशी को बेच दिया था। उस परदेशी बाबू ने भी अंत में कमली को इन दो भाइयों के हाथ बेच दिया। बड़कू और ननकू उम्र में ज्यादा है; इस कारण कमली उन्हें छोड़ना चाहती है। वह दुलारे धोबी से प्यार करने लगती है। बड़कू हमेशा उससे मार-पीट करता है, उस पर अन्याय-अत्याचार करता है। एक दिन कमली को वहाँ देख

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:7(3), July 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

कर बड़कू के बदन में जैसे आग लग गयी और भीतर घुसकर वह उसका झोंटा पकड़ कर खींचने लगा। इस पर दुलारे ने विरोध किया और कमली को बड़कू के चंगुल से छुड़ा दिया। बड़कू गरजने लगा, हरामजादी तुझ पर मैं ने दो हजार रुपये खर्च किए हैं- पूरे दो हजार। सीधे से चले चल वरना सिर काटकर यही तुझे गाड दूंगा। इस तरह परिवार और समाज द्वारा नारी को विविध प्रकार से शोषित किया जाता है। इसी बात का चित्रण बिस्मिल्लाह के साहित्य में है। 'उनकी पुरानी हवेली,' एहसास, इन्द्रधनुष, 'दंड'आदि अनेक कहानियों में भी शोषित नारी की समस्या चित्रित होती है।

'यह कोई अंत नहीं' कहानी के सर्वर साहब की माता बीड़ी बनाते-बनाते अपने बेटे को पड़ा-लिखाकर मास्टर बनाती है। सरवर साहब का कहना है कि अब वह बीडिया बनाना बंद करें। लेकिन वह मानती ही नहीं। वह कहती है कि इसी की बदौलत सेतू आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। पुराने जमाने की नारियां अपने समय की रूढि परंपरा और व्यवसाय को को त्यागना नहीं चाहती हैं। समाज में कितना ही परिवर्तन क्यों ना आए, यह बात आज की नई पीढ़ी की नारियों में नहीं है।

' दरबे के लोग ' कहानी में मजदूरों की औरतों का उच्चवर्गीय गिरस्ता लोगें द्वारा शारीरिक शोषण करने का चित्रण है। उनको शरीर के बदले में सिर्फ मजदूरी मिलती है। अगर किसी ने इंकार कर दिया तो उन्हें बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है। आर्थिक विपन्नता के कारण गरीब बनकर लोग मजबूरी में अपनी औरतों को उन्हें सौंप देते हैं। अपने पेट की आग मिटाने के लिए कारीगर भैंस का माँस खाते हैं और गिरस्ता लोग औरत का । इन्हें घर की औरत मांस अच्छा नहीं लगता। कारीगरों की औरतों का मांस अच्छा लगता है। उसकी इस अच्छा लगनेवाली वृति को इन दरबों में रहने वाले लोगो हमेशा से संतुष्ट करते आए हैं और जिसने संतुष्ट किया, उसे जमाने की सबसे नायब चीज, अर्थात मजदूरी मिलती है। जिसने इंकार किया उसे मजदूरी से ही नहीं बल्कि दरबे से भी निकाल दिया जाता है। इसका शिकार खुतेजा और उसके परिवार को होना पड़ता है। क्यों कि खुतेजा ने इन गिरस्तो को अपना माँस बेचने से इंकार कर दिया है, जो भेड़ियों की तरह उसे नोचना चाहते हैं। वह एक स्वाभिमानी नारी है, उसे यह तब पसंद नहीं है।

संदर्भ- ग्रन्थ सूची:-

1. अब्दुल बिस्मिल्लाह के साहित्य में
संघर्षरत आम आदमी- डॉ. शेख शरफोदिदन फकोदीदन
पृष्ठ – 468-141,142,144

2. कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह के मूल्यांकन
के विविध आयाम - डॉ. फिरोखान - प्रष्ठ-82,83.